CANCELLED. CANCELLED

24

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

श्रीमति शाहिदा बेगम जोजे अब्दुल हफीज

निबासी– बजरिया वार्ड नं0 07 दमोह तहसील व जिला दमोह

निगरानी/3240/2018/दमोह/अ-90
B-O-R.

11 MAY 2018

......................आवेदिका

वनाम

1– उमेद उर्फ कलू बब्बा तनय हरजू पटैल

2– लाडरी बाई पत्नि उमेद पटैल, 3– बुद्धू तनय उमेद पटैल,

4– खिलान तनय उमेद पटैल,

सभी पेशा कास्तकारी, निबासी– भदौली ,रा0 नि0 म0

हिंडोरिया, तहसील व जिला दमोह म0 प्र0

5– म0प्र0 शासन रानि हिंडोरिया, तहसील व जिला दमोह

................अनावेदकगण

राजेन्द्र पटैरिया, अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म. प्र.)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदिका द्वारा यह निगरानी **न्यायालय श्रीमान राजस्व निरीक्षक मंडल हिन्डोरिया जिला दमोह द्वारा प्र0क0 22/अ–12 /2016–17 में स्वीकृत सीमांकन आदेश दिनांक 06/01/2018** से परिवेदित होकर कर रहा है। जो बिलंब से होने से पृथक से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है, तथा माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

82
23/5/18

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम भदौरी तहसील एवं जिला दमोह में अनावेदिका कमांक 01 के नाम से खसरा नंबर 362 रकवा 1.20 हैक्टेयर भूमि भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उसी से लगी हुई भूमि खसरा नंबर 361/1 रकवा 0.670 हैक्टेयर भूमि

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

(२५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3240/2018/दमोह/भू.रा.

शाहिदा विरूद्ध उमेद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल हिन्डोरिया जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 22/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 06-01-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 3.1.19 सदस्य	